



भारत में वन और वृक्ष आवरण

प्रलम्बिस के लयि:

वृक्ष आवरण, वन आवरण, हरति भारत हेतु राष्ट्रिय मशिन (GIM), जलवायु परविरतन राष्ट्रिय कार्ययोजना, भारत वन स्थति रिपौरट- 2021, राष्ट्रिय वनीकरण कार्यकर्म, पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986, अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम ।

मेन्स के लयि:

भारत वन स्थति रिपौरट- 2021, भारत में वनों से संबद्ध मुद्दे, वन संरक्षण हेतु सरकार की पहल ।

चर्चा में क्यों?

भारत, [हरति भारत हेतु राष्ट्रिय मशिन \(National Mission for a Green India- GIM\)](#) के तहत [वृक्षों और वन आवरण](#) वृक्षारोपण की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्यों से पीछे है ।

- वृक्षावरण में गरिवट वाले राज्यों में [आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केरल](#) शामिल हैं ।

वृक्षावरण एवं वनावरण में अंतर:

- वृक्ष आच्छादन भूमिके उस कुल क्षेत्र को संदर्भति करता है जो वृक्षों द्वारा आच्छादति है, भले ही ये वृक्ष वन पारस्थितिकी तंत्र का हसिसा हों या नहीं ।
- दूसरी ओर, [वन आवरण](#), वशिष रूप से भूमिके उस क्षेत्र को संदर्भति करता है जो वन पारस्थितिकी तंत्र के रूप में शामिल कयिा जाता है, वन पारस्थितिकी तंत्र को **10-30% के न्यूनतम वतान घनत्व (Canopy Density)** और **0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के रूप में परभाषति कयिा गया है ।**
- इसलयि सभी वनावरण वृक्षावरण हैं, लेकिन सभी वृक्षावरण वनावरण नहीं हैं ।

हरति भारत हेतु राष्ट्रिय मशिन (GIM):

- GIM [जलवायु परविरतन पर राष्ट्रिय कार्ययोजना](#) के तहत आठ मशिनों में से एक है ।
 - इसका उद्देश्य भारत के [वन आवरण की रक्षा, बहाली और उसमें वृद्धिकरना](#) एवं जलवायु परविरतन का सामना करना है ।
 - इस मशिन के तहत वन/वृक्षों के आवरण को बढ़ाने और मौजूदा वन की गुणवत्ता में सुधार के लयिघन एवं [गैर-वन भूमि पर 10 मलियन हेक्टेयर \(Mha\)](#) में वन आच्छादन का लक्ष्य है ।
 - [पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय](#) इस [केंद्र प्रायोजति योजना](#) के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों का समर्थन करता है ।
 - यह [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन](#) को कम करने के लयि अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतबिद्धताओं के हसिसे के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार, [कारबन पृथक्करण](#) और भारत के [कारबन स्टॉक को मज़बूत करने के लयि महत्त्वपूर्ण](#) है ।

भारत में वनों की स्थति:

- परचिय:
 - [इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपौरट-2021](#) के अनुसार, वर्ष **2019** के पछिले आकलन के बाद से देश में वन और वृक्षों के आवरण क्षेत्र में **2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है ।**

- भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र **80.9** मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **24.62%** था।
 - रपॉर्ट में कहा गया है कि **17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33%** से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है।
 - सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र **मध्य प्रदेश** में था, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान था।
 - अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्यमज़ोरम (**84.53%**), अरुणाचल प्रदेश (**79.33%**), मेघालय (**76%**), मणिपुर (**74.34%**) और नगालैंड (**73.90%**) थे।
- **भारत में वनों से जुड़े मुद्दे:**
 - **संकुचित वन आवरण:** भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, पारस्थितिक स्थिरता बनाए रखने हेतु वन के तहत कुल भौगोलिक क्षेत्र का आदर्श प्रतिशत कम-से-कम **33%** होना चाहिये।
 - हालाँकि यह वर्तमान में देश की केवल **24.62%** भूमि को कवर करता है और तेज़ी से संकुचित हो रहा है।
 - **संसाधन प्राप्ति हेतु संघर्ष:** अक्सर स्थानीय समुदायों के हितों और व्यावसायिक हितों के मध्य संघर्ष होता है, जैसे कि फार्मास्युटिकल उद्योग या लकड़ी उद्योग।
 - इससे सामाजिक तनाव और यहाँ तक कि हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि विभिन्न समूह वन संसाधनों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने हेतु संघर्ष करते हैं।
 - **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याएँ, जसमें **कीट प्रकोप, जलवायु के कारण होने वाले प्रवासन, जंगल की आग और तूफान** शामिल हैं, जो वन उत्पादकता को कम करते हैं तथा प्रजातियों के वितरण में बदलाव लाते हैं।
 - यह अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में **45-64%** वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभावों का सामना करेंगे।
- **वन संरक्षण के लिये सरकारी पहल:**
 - [राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम](#)
 - [1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम](#)
 - [अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#)

भारत अपने वन आवरण को कैसे बढ़ा सकता है?

- **संरक्षण हेतु तकनीक का उपयोग:** [रिमोट सेंसिंग](#) तकनीक का उपयोग वन आवरण, वन की आग से नगिरानी आदि को ट्रैक करने तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है।
 - इसके अतिरिक्त गैर-अन्वेषित (Unexplored) वन क्षेत्रों का उपयोग **संभावित संसाधन मानचित्रण** के लिये किया जा सकता है और वनों के घनत्व एवं वन पारितंत्र को बनाए रखने के लिये इन्हें **वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थायी संसाधन निष्कर्षण** के तहत लाया जा सकता है।
- **डेडीकेटेड फॉरेस्ट कॉरडोर:** जंगली जानवरों के सुरक्षित अंतर-राज्यीय और अंतरा राज्यीय आवागमन एवं उनके आवास को किसी भी बाहरी प्रभाव से बचाने के लिये डेडीकेटेड फॉरेस्ट कॉरडोर को शांतपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिये बनाए रखा जा सकता है।
- **कृषिवानिकी को बढ़ावा देना:** इसके अंतर्गत **पेड़-पौधों और वन-आधारित उत्पादों को कृषिप्रणालियों में एकीकृत** करना शामिल है। यह वन क्षेत्र के विकास में मदद कर सकता है तथा किसानों के लिये अतिरिक्त आय तथा संसाधन का स्रोत हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (वर्ष 2021)

- (A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (B) पंचायती राज मंत्रालय
- (C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (D) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (D)

प्रश्न. भारत के एक विशेष राज्य में नमिनलखिति विशेषताएँ हैं: (वर्ष 2012)

1. यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुज़रती है।
2. इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है।
3. इस राज्य में 12% से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का गठन करता है।

नमिनलखिति में से कसि राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएँ हैं?

- (A) अरुणाचल प्रदेश
- (B) असम

- (C) हिमाचल प्रदेश
(D) उत्तराखण्ड

उत्तर: (A)

??????:

प्रश्न. भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धिसर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। सुसंगत वाद वधियों की सहायता से इस कथन की वविचना कीजिये। (2022)

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/forest-and-tree-cover-in-india>

